न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 180/2018
GCMS NO. : 2018/00234

–: वादीया :–

1. लालीदेवी पुत्री घीसाराम पत्नी भाकरराम, जाति– कुमावत, निवासी– बेरा खेजाड़िया, निमाज, हाल मुकाम– समौखी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।
2. हल्का पटवारी, पटवार हल्का निमाज तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11.07.2018**

उपस्थितः–
1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीया।
2. तहसीलदार जैतारण, पैरोकार सरकार राज0।

दिनॉकः– 30/05/2022

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमाज प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित है। जिसके खसरा संख्या का विवरण है– खाता संख्या 844 खसरा संख्या 582 रकबा 0–01 बीघा किस्म गैरमुमकिन बेरा खसरा संख्या 583 रकबा 1–11 बीघा किस्म गैरमुमकिन सड़ा कुल रकबा 1–12 बीघा तथा खाता संख्या 845 खसरा संख्या 589/1 रकबा 2–15 बीघा, खसरा संख्या 590/1 रकबा 2–07 बीघा, खसरा संख्या 595 रकबा 6–04 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 11–06 बीघा है। उक्त आराजी की कृषि भूमि की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि इस वादपत्र के साथ संलग्न है जो वादपत्र का भाग माना जावे। उक्त आराजी की कृषि भूमि पर हिस्से माफिक कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करती आ रही है। उक्त आराजी की कृषि भूमि में आज से 40 वर्ष पूर्व में जरिए रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की थी। जिसमें रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्री में रामजीवन पुत्र घीसाराम के नाम से रजिस्ट्री में टाईप करवा दिया जो गलत है। बचपन में रामजीवण ही प्यार से कहते थे। जबकि वादीया का वास्तविक नाम लालीदेवी पुत्री श्री घीसाराम था। जो यह टाईप मिस्टेक की गलती में आता है। इस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर हल्का पटवारी निमाज ने भी रामजीवण पुत्र घीसाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में [illegible]मद कर दिया जो एक रोंग एंट्री की तारीफ में आता है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की कृषि भूमि पर हिस्से माफिक कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करती आ रही है। उक्त आराजी की कृषि भूमि की जमाबंदी में वादीया का नाम रामजीवण पुत्र घीसाराम दर्ज है। जो हल्का पटवारी निमाज प्रथम की गलती से दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

किया गया है। जो राजस्व अधिकारी एवं हल्का पटवारी निमाज की गलती से लालीदेवी पुत्री घीसाराम की जगह रामजीवण पुत्र घीसाराम दर्ज कर दिया जो रोंग एंट्री है जो स्लीप ऑफ पेन की तारीफ में आता है, जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में लालीदेवी पुत्री घीसाराम की जगह रामजीवण पुत्र घीसाराम के नाम से गलत इन्द्राज चलता आ रहा है। वादीया को इस रोंग एंट्री की जानकारी नही थी। वादीया को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन पर केसीसी कार्ड बनाने की आवश्यकता पड़ी, तब वादीया ने हल्का पटवारी निमाज प्रथम से सम्पर्क किया एवं जानकारी की नकल प्राप्त की। तब पता चला कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में लाली देवी पुत्री घीसाराम की जगह रामजीवण पुत्र घीसाराम दर्ज है, जो रोंग एंट्री है। वादीया को बचपन में लालीदेवी पुत्री घीसाराम को ही रामजीवणी पुत्री घीसाराम कहते थे। जो रामजीवणी पुत्री घीसाराम एवं लालीदेवी पुत्री घीसाराम के नाम की वादीया स्वयं एक ही नाम की औरत है जो दोनो नाम से पुकारते थे। हल्का पटवारी निमाज प्रथम की गलती से गलत नाम वादीया का इन्द्राज किया गया जिसे जरिए घोषणा के म्युटेशन संख्या 616 दिनांक 25.09.1974 तथा म्युटेशन संख्या 636 दिनांक 25.11.1974 को रद्द एवं निरस्त घोषित किया जाकर रामजीवण पुत्र घीसाराम की जगह लालीदेवी पुत्री घीसाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में जरिए घोषणा के घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावे। वादीया के नाम का सबूत आधार कार्ड की प्रति इस वादपत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादी संख्या एक तहसीलदार लैण्ड होल्डर है जो इसमें आवश्यक पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 हल्का पटवारी निमाज प्रथम की गलती से वादीया लालीदेवी का नाम म्युटेशन संख्या 616 दिनांक 25.09.1974 एवं 636 दिनांक 25.11.1974 के जरिए रामजीवण पुत्र घीसाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जो गलत है, जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में जरिए घोषणा सही नाम लाली देवी पुत्री घीसाराम अमल दरामद करने हेतू पक्षकार बनाया गया है। वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में रामजीवण पुत्र घीसाराम के नाम से रोंग एंट्री चली आ रही है जिसे जरिए घोषणा के दुरूस्त किया जाकर रामजीवण पुत्र घीसाराम की जगह लालीदेवी पुत्री घीसाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया गया तो वादीया अपने कानून जायक हक हकूको एवं मालिकाना साम्पैतिक अधिकारो से वंचित रह जायेगी। जिससे वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिंपूर्ति किसी सूरत में संभव नही होगी। प्रथम दृष्टया मामला भी वादीया के हक में बखूबी साबित है। इसलिए वादीया की तरफ से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत् घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र श्रीमान की सेवा में सादर पेश है जो आज ही नोटिस डिस्पेन्स विद किये जाने का आदेश फरमावे। बिनाय दावा दिनांक 30.05.2018 को पटवारी हल्का निमाज प्रथम के पास गई एवं राजस्व रेकर्ड [illegible] की नकल प्राप्त की। तब इसकी जानकारी हुई। तब वादीया द्वारा हल्का पटवारी [illegible] नाम दुरूस्त करने का कहने पर एवं राजस्व अधिकारी एवं हल्का पटवारी द्वारा मना करने पर बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में एवं श्रवणाधिकार में होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:38:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में कथन किया कि ग्राम निमाज प्रथम के खसरा संख्या 582 रकबा 0-01 गैरमुमकिन बेरा, खसरा संख्या 583 रकबा 1-11 बीघा गैरमुमकिन सड़ा एवं खसरा संख्या 589/1 रकबा 2-15 बीघा, खसरा संख्या 590/1 रकबा 2-07 बीघा एवं खसरा संख्या 595 रकबा 6-04 बीघा में रामजीवण पुत्र घीसा 1/8 हिस्सानुसार दर्ज है। वाद में ही रामजीवण पुत्र घीसाराम के नाम से रजिस्ट्री करना बताया है, नामान्तकरण संख्या 636 दिनांक 25.11.1974 का अवलोकन करने पर पाया कि जरिए बेचान रजिस्टर्ड दिनांक 15.06.1974 के अनुसार ही अमल दरामद की कार्यवाही की गई। अर्थात् बेचान रजिस्ट्री के अनुसार ही नामान्तकरण संख्या 636 दर्ज किया गया। वर्तमान में इसी अनुरूप दर्ज है। रजिस्ट्री अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज कर अमल दरामद किया गया है जो पट्वारी द्वारा हुई रोग एंट्री नही है बल्कि सही एंट्री है। वादीया लालीदेवी ही रामजीवण है यह स्वयं साबित करे। बहस वकील वादी की सुनी गई। वकील वादी साक्ष्यवादी में साक्ष्य शपथ पेश किए, प्रदर्श करवाए गए जो शामिल मिसल किए गए।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. आया वादीया वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज गलत नाम रामजीवण पुत्र घीसाराम के स्थान पर सही नाम लालीदेवी पुत्री घीसाराम जरिए घोषणा दर्ज करवाने की अधिकारी है।

जिम्मे वादीया

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीया की है। वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 1 एवं 2 ग्राम निमाज की नामान्तरण पंजिका की प्रविष्टि संख्या 616 दिनांक 25.09.1974 एवं नामान्तरण संख्या 636 दिनांक 25.11.1975 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जरिए बैचान रजिस्ट्री घीसा, पेमा, मंगला, बंशीलाल पि0 भूरा बहिस्सा बराबर 1/2 रामजीवण पुत्र घीसा 1/8.... का अंकन है। प्रदर्श 3 व 4 जमाबंदी ग्राम निमाज प्रथम संवत 2073 के अनुसार लाली देवी पत्नी भाकरराम निवासी समौखी एवं रामजीवण पुत्री घीसा का अंकन है। प्रदर्श 5ए लाली देवी पत्नी भाकरराम निवासी समौखी का आधार कार्ड, प्रदर्श 6ए घीसाराम पुत्र भूराराम निवासी निमाज का आधार कार्ड, भाकरराम का परिवार राशन कार्ड ग्राम समौखी में लाली देवी पत्नी भाकरराम, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में लाली पत्नी भाकरराम निवासी समौखी तथा लाली देवी की बैंक पास बुक में लाली देवी पत्नी भाकरराम निवासी समौखी दर्ज है। वादी गवाह पीडब्लु 1 वादीया लाली देवी पुत्री घीसाराम पत्नी भाकरराम द्वारा शपथ पत्र पर यह कथन किया कि राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन संख्या 616 दिनांक 25.09.1974 व म्युटेशन संख्या 636 दिनांक 25.11.1974 को मेरा नाम अमल दरामद करते वक्त गलती से लाली देवी पुत्री घीसाराम की जगह रामजीवण पुत्र घीसाराम दर्ज कर दिया जो [illegible] है मेरा सही नाम लाली देवी पुत्री घीसाराम है। वादी गवाह पीडब्लु 2 [illegible] भूराराम निवासी निमाज द्वारा शपथ पत्र पर यह कथन किया कि मेरी [illegible] रामजीवणी के नाम से खसरा संख्या 582, 583, 589/1, 590/1 व 595 [illegible] जमीन मैने खरीद की थी, जिसकी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:54 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्ट्री मैंने रामजीवणी पुत्री घीसाराम के नाम से करवाई जो बचपन में हम लाड प्यार में रामजीवणी कहते थे, रामजीवणी व लालीदेवी दोनो एक ही नाम की महिला है जो मेरी पुत्री लाली देवी है। रामजीवण पुत्र घीसाराम टाईप मिस्टेक से दर्ज हुआ है जो गलत है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीया लालीदेवी एवं भू अभिलेख में दर्ज रामजीवण वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा यह पुरूष नही होकर के महिला है। जो कि घीसाराम पुत्र भूराराम निवासी निमाज की जायन्दा पुत्री है। अतः यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज रामजीवण पुत्र घीसाराम पुर्णतया त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी है क्योकि यह पुत्र न होकर के पुत्री है। वादीया के पिता द्वारा शपथ पत्र पर किए गए बयान तथा वादीया के दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में दर्ज प्रविष्टि रामजीवण पुत्र घीसाराम वस्तुतः त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है जबकि खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम लाली देवी पुत्री घीसाराम है। अतः यह विवाद्यक वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होने से वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. आया वादीया का नाम वादग्रस्त आराजी में मुताबिक पंजीकृत बैचान जरिए नामान्तरकरण दर्ज हुआ है जो सही है एवं गलत प्रविष्टी नही है ? जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन एवं निर्णय से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज खातेदार रामजीवण पुत्र घीसाराम के नाम की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है क्योकि उक्त खातेदार पुरूष न होकर के महिला है। अतः नामान्तरण दर्ज करते समय खातेदार के नाम एवं लिंग की सही जांच नही किए जाने के कारण मात्र तत्समय उपलब्ध दस्तावेजी प्रविष्ठि के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया जिसे सही नही कहा जा सकता। अतः यह विवाद्यक बखूबी साबित नही होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. आया वादीया का बचपन का नाम रामजीवणी था, अतः बेचान पत्र में सहवन से रामजीवण टंकित हो गया, रामजीवण, रामजीवणी व लालीदेवी एक ही व्यक्ति हैं ?

जिम्मे वादीया

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीया की है। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन एवं निर्णयन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में खातेदार के नाम की दर्ज प्रविष्ठि त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध है। रामजीवण पुत्र घीसाराम नाम का कोई व्यक्ति घीसाराम की संतान नही है। स्वयं घीसाराम द्वारा शपथ पत्र पर यह स्पष्ट किया है कि उसकी पुत्री लाली देवी जिसे बचपन में लाड प्यार मे रामजीवणी भी कहते थे तथा उसका सही एवं वास्तवकि नाम लाली देवी पुत्री घीसाराम है। दस्तावेजी साक्ष्यो से भी यह स्पष्ट है कि लाली देवी, घीसाराम की पुत्री है। अतः यह विवाद्यक बखूबी साबित होने से वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. अन्य अनुतोष ?

पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या 1, 2 एवं 3 द्वारा प्रकरण में वांछित अनुतोष एवं विवाद्यक समस्त विषयो का विवेचन एवं निर्णय किया जा चुका है अतः अन्य कोई अनुतोष दिया जाना शेष नही है।

अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम निमाज की वादग्रस्त आराजी खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

844 खसरा संख्या 582 रकबा 0–01 बीघा किस्म गैरमुमकिन बेरा खसरा संख्या 583 रकबा 1–11 बीघा किस्म गैरमुमकिन सड़ा कुल रकबा 1–12 बीघा तथा खाता संख्या 845 खसरा संख्या 589/1 रकबा 2–15 बीघा, खसरा संख्या 590/1 रकबा 2–07 बीघा, खसरा संख्या 595 रकबा 6–04 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 11–06 बीघा के भू अभिलेख में खातेदार के नाम की दर्ज प्रविष्ठि ''रामजीवण पुत्र घीसा'' त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध है अतः इसे विलोपित करते हुए खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ''लाली देवी पुत्री घीसाराम'' दर्ज कर शेष प्रविष्ठिया यथावत रखते हुए वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादपत्र डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीया अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निमाज, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित ग्राम निमाज की वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 844 खसरा संख्या 582 रकबा 0–01 बीघा किस्म गैरमुमकिन बेरा खसरा संख्या 583 रकबा 1–11 बीघा किस्म गैरमुमकिन सड़ा कुल रकबा 1–12 बीघा तथा खाता संख्या 845 खसरा संख्या 589/1 रकबा 2–15 बीघा, खसरा संख्या 590/1 रकबा 2–07 बीघा, खसरा संख्या 595 रकबा 6–04 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 11–06 बीघा के भू अभिलेख में खातेदार के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्ठि ''रामजीवण पुत्र घीसा'' को विलोपित करते हुए खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ''लाली देवी पुत्री घीसाराम'' दर्ज कर शेष प्रविष्ठिया यथावत रखते हुए वादीया लाली देवी पुत्री घीसाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/05/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीया :–

1. लालीदेवी पुत्री घीसाराम पत्नी भाकरराम, जाति– कुमावत, निवासी– बेरा खेजाड़िया, निमाज, हाल मुकाम– समौखी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।
2. हल्का पटवारी, पटवार हल्का निमाज तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0:रा0वा0स0: 180/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादीया अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निंमाज, पटवार हल्का निमाज, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित ग्राम निमाज की वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 844 खसरा संख्या 582 रकबा 0–01 बीघा किस्म गैरमुमकिन बेरा खसरा संख्या 583 रकबा 1–11 बीघा किस्म गैरमुमकिन सड़ा कुल रकबा 1–12 बीघा तथा खाता संख्या 845 खसरा संख्या 589/1 रकबा 2–15 बीघा, खसरा संख्या 590/1 रकबा 2–07 बीघा, खसरा संख्या 595 रकबा 6–04 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 11–06 बीघा के भू अभिलेख में खातेदार के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्ठि ''रामजीवण पुत्र घीसा'' को विलोपित करते हुए खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ''लाली देवी पुत्री घीसाराम'' दर्ज कर शेष प्रविष्ठिया यथावत रखते हुए वादीया लाली देवी पुत्री घीसाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–. .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज तारीख **30/05/2022** को सर–ए–इजलास जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:54 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०१	००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	०२	००	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	०५	००	मिजानः-	— Nil —	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:54 IST
Reason: SelfAttested